बी0के0 गुप्ता
5/1/2012

6/5.1.12

निगरानी

नि.प्र.क्र.   /11–12

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प
श्रीमान ~~अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग~~ इन्दौर के समक्ष

R-118-PBR/2012

छगन पिता रणछोड धाकड
उम्र–54 वर्ष, धंधा–खेती
ग्राम– रोंगलिया, तहसील व जिला–धार   ––प्रार्थी

श्री बी0के0 गुप्ता अधि0 द्वारा आज दिनांक 17.1.12 को इंदौर कैंप पर प्रस्तुत।
17.1.12

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा जिला कलेक्टर धार
2. इंदरसिंग पिता बद्रीलाल धाकड
   ग्राम– रोंगलिया, तहसील व जिला–धार   –– प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला धार द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 18/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 12/12/2011 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

... /2011 को

दिनांक लाल / अमित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 118–PBR / 2012 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–5–2014	उभय पक्ष के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश से प्रकरण तहसीलदार, धार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि विधिवत भूमि सर्वे कमांक 166 पैकी रकबा 0.780 हेक्टेयर पर अनावेदक इन्दरसिंह पिता बद्रीलाल का नाम विनिमय आदेश के पालन में दर्ज हो गया है, और उसे वर्तमान तक शासन द्वारा कब्जा प्रदाय नहीं किया गया है तो म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि अनुकूल कार्यवाही करें । कलेक्टर के उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा दिनांक 23–2–2012 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिस कारण यह निगरानी निरर्थक हो गई है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	